राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल–stplsg407@gmil.com वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : F-59.STP/DLB/ सामान्य आदेश (862)/19/01 दिनांक :– 01/01/2020

आदेश

राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की 157वीं बैठक दिनांक 13.11.2019 में एजेण्डा संख्या 26 के क्रम में लिये गये नीतिगत निर्णय के संबंध में मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति, राजस्थान जयपुर द्वारा आदेश क्रमांक 1120/एसएलसी/भरतपुर/01/2019/10826–59 दिनांक 27.11.2019 जारी किया गया है। (संलग्न) संदर्भित आदेश को राजस्थान राज्य के समस्त प्राधिकरणों, न्यासों व नगरीय निकायों में एकरूपता लाने हेतु समस्त नगरीय निकायों में एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाता है।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

30/12/19

(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

क्रमांक : F-59.STP/DLB/ सामान्य आदेश (862)/19/02-11 दिनांक :– 01/01/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर
6. क्षैत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभागजयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/ उदयपुर/ भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करें।
7. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/नगर पालिका समस्त।
8. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. System Analyst cum Joint Director, DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है, कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(रवि राय वर्मा)
वरिष्ठ नगर नियोजक

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:1120/एसएलसी/भरतपुर/01/2019/10826-59 दिनांक:- 27 NOV 2019

आदेश

विषयः—नगर पालिका अधिनियम—1959/2009 लागू होने से पूर्व की आबादी भूमि के भू—उपयोग के संबंध में नीतिगत निर्णय।

नगर पालिका/परिषद्/निगम/न्यास/प्राधिकरणो हेतु गठित राज्य स्तरीय भू—उपयोग परिवर्तन समिति की 157वीं बैठक दिनांक 13.11.2019 के एजेण्डा सं. 26 में नगर पालिका अधिनियम—1959/2009 लागू होने से पूर्व की आबादी भूमि के भू—उपयोग के संबंध में नीतिगत निर्णय हेतु निम्नानुसार तथ्य नोट किये गये।

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम—2009 के धारा 182 के बिन्दु संख्या 1 व 2 में उल्लेखित है कि

"(1) कोई भी व्यक्ति किसी भी नगर पालिका क्षेत्र में स्थित किसी भूमि का उपयोग, उस प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये जिसके लिये ऐसी भूमि राज्य सरकार, किसी नगर पालिका, किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय या प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अनुसार किसी व्यक्ति को मूलतः आवंटित या विक्रीत की गई थी या किसी मास्टर प्लान योजना, जहां कहीं भी वह प्रवर्तन में हो, में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से अन्यथा नहीं करेगा या करने की अनुज्ञेय नहीं देगा।

(2) ऐसी किसी भूमि के मामले में जो यथापूर्वोक्त रूप में आवंटित या विक्रीत नहीं की गई है और उप—धारा (1) के अन्तर्गत नहीं आती है, कोई भी व्यक्ति नगर पालिका क्षेत्र में स्थित ऐसी किसी भूमि का उपयोग उस प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये नहीं करेगा या करने की अनुज्ञा नहीं देगा जिसके लिये ऐसी भूमि का उपयोग इस अधिनियम के प्रारम्भ पर या उसके पूर्व किया जा रहा था।"

उपरोक्त तथ्यो के परिपेक्ष में राज्य स्तरीय भू—उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा निम्न निर्णय लिया गयाः—

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम—2009 के धारा 182 के बिन्दु संख्या 1 व 2 के अनुसार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम—2009 लागू होने से पूर्व यदि किसी भूमि का वर्गीकरण गैरमुमकिन आबादी दर्ज है एवं तत्समय भी प्रश्नगत भूमि नगर पालिका सीमा क्षेत्र में स्थित थी, उक्त भूमि का भू—उपयोग मास्टर प्लान में अन्य प्रयोजनार्थ भू—उपयोग प्रस्तावित किये जाने के उपरांत भी (यथा—वाणिज्यिक, संस्थानिक, औद्योगिक आदि) गैरमुमकिन आबादी अर्थात् आवासीय भू—उपयोग ही माना जावेंगा।

उपरोक्त निर्णय से प्रभावित नगरीय क्षेत्रो में स्थित समस्त गैरमुमकिन आबादी भूमि के संबंध में भू—उपयोग की स्वीकृति ली जानी प्रस्तावित किये जाने पर भी समस्त कार्यवाही, प्रश्नगत भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ भू—उपयोग ही मानते हुए की जावेगी। यदि किसी भूस्वामी द्वारा ऐसी भूमि का भू—उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ यथा—वाणिज्यिक, संस्थानिक आदि उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित किया जाता है अथवा मास्टर प्लान में दर्शाये अनुसार किया जाना प्रस्तावित किया जाता है तो उक्त भूमि हेतु नियमानुसार भू—उपयोग परिवर्तन की सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

27/11/2019

(आर.के. विजयवर्गीय)
मुख्य नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय भू—उपयोग
परिवर्तन समिति राज. जयपुर।

कार्यालय पता : जे.एल.एन. मार्ग, बिड़ला मन्दिर के सामने, जयपुर—302004
EPBX No. 2560838, 2560963
Office e-mail : ctp-rj@nic.in
Website : http//udhrajasthan.gov.in